

प्ररुप अ.डि. -21

ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभिन्यास डिज़ाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करता है अभिन्यास डिज़ाइन की मौलिकता या सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार की प्रारम्भिक सलाह के लिए अनुरोध (धारा 78 नियम 21)

मैं/हम -----रजिस्ट्रार से मुझे/हमें यह सलाह देने का अनुरोध करते हैं कि क्या संलग्न अभिन्यास डिज़ाइन उन्हें प्रथमदृष्टया मौलिक प्रतीत होता है ताकि अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया सके ।

रजिस्ट्रार की सलाह भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जाए 2-

आज तारीख -----मास -----20

3.-----

सेवा में

रजिस्ट्रार अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन

-----4पर अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री का कार्यालय । नियम -4 देखे

1. पूरा नाम और पता लिखें
2. यदि 1 पर दिए गए पते का स्थान भारत में नहीं है तो उल्लेख करें
3. हस्ताक्षर
4. अर्द्ध चालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के नाम और स्थान का उल्लेख करें । नियम -4 देखे